न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 1/2020

उनवान

1. केशर सिंह पुत्र नारायण सिंह,
2. कोया पत्नी सूरजकरण,
3. जय सिंह पुत्र सूरजकरण,
4. पप्पू पुत्र सूरजकरण,
5. पांचू पुत्र पन्ना,
6. पीरू पुत्र सूरजकरण,
7. बीरमा पुत्र सूरजकरण,
8. रूकमा पत्नी नारायण सिंह,
9. विमला पुत्री सूरजकरण,
10. शंकर पुत्र नारायण सिंह,
11. शान्ति पत्नी सूरजकरण,
12. सोहन पुत्र नारायण सिंह जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थी :— जरियें राज0 पैरोकार

2. भागू सिंह पुत्र भोमा जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :— अनुपस्थित

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 31.8.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खाता नम्बर 437/402 किता 30 रकबा 5.32 हेक्टेयर है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 अपने खातेदार खेत 2857 रकबा 0.30 में पर आने–जाने के लिये सिवायचक खसरा नम्बर 2869 रकबा 0.26 का उपयोग करते है। प्रार्थीगण के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है।

अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 को सिवायचक खसरा नम्बर 2869 रकबा 0.26 में से 15 फुट चौडा रास्ता दिया जावे। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:28:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 2869 रकबा 0.26 में से 15 फुट चौडा व 197 फुट लम्बा कुल 2955 वर्ग फुट रास्ता चाहा गया है। अन्य कोई रास्ता मौके व राजस्व अभिलेख में उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 9366/ रूपये बनती है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास अपने खेतों पर आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। खसरा नम्बर 2857 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में भी कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम भवानीखेडा के सिवायचक खसरा नम्बर 2869 में सें 15 फुट चौडा व 197 फुट लम्बा कुल 2955 वर्ग फुट आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 18732/ अक्षरे अठारह हजार सात सौ बत्तीस रूपये प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:28:12 IST
Reason: SelfAttested